न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010011482025

Misc. Civil Appeal/10/2025

Rishipal Vs. Shailendra

26.02.2026

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । रेस्पोंडेंट सं05 / विपक्षी की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 09.12.2025 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील में दिनांक 10–11–2026 को विपक्षी सं० 5 के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये है। विपक्षी सं० 5 के शासकीय अधिवक्ता दिनांक 10–11–2026 को अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उक्त अपील में पुकार के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण न्यायालय द्वारा विपक्षी संक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये है। उक्त आवेश के स्थिर रहने से विपक्षी सं० 5 की अपार हानि व हकतल्फी है। विपक्षी सं०5 उक्त आदेश को रिकॉल कराकर अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त अपील को गुण दोष के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है। अतः उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 को रिकॉल किया जाकर विपक्षी सं० 5 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त अपील को गुण दोष के आधार पर करने की याचना की गयी है ।

जिस पर अपीलार्थी की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि अपील के निस्तारण को जानबूझकर विलम्बित किया जा रहा है , प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से विविध अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 को रिकॉल किया जाकर, रेस्पोडेंट सं0 5 को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करने की याचना की गयी है । मामले के गुणदोष पर प्रभावी न्यायनिर्णयन हेतु न्यायहित में रेस्पोडेंट सं0 5 / विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 26.02.2026 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है ।

Digitally signed by
GYANENDER
SINGH YADAV
Date: 2026.02.27
10:13:59 IST
Reason: order
Location: District and
Sessions Court

<u>आदेश</u>

रेस्पोडेंट सं0 5 / विपक्षीग की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 26.02.2026 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है । तदनुसार विविध अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 अपास्त किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दि0 10.03.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।